

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

#### प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] No. 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2018/चैत्र 1, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2018/CHAITRA 1, 1940

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

#### सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

**सं.** 68 / 2015-2020

## विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/356/एएम-17/पीसी-4.—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के मौजूदा पैरा 4.07 के नीचे एक नया पैरा 4.07क जोड़ा गया है, जो निम्नानुसार है:–

# पैरा 4.07क अनुसमर्थन स्कीम

- (i) अनुसमर्थन स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 4.07क में प्रदान की गई है। पिरिशिष्ट–4ड. के अनुसार आवेदन पूर्ण ब्यौरे के साथ ऑनलाइन फाइल करना होगा और साथ ही पिरिशिष्ट–4ट के अनुसार सनदी इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सनदी इंजीनियर को अपनी क्षमता के क्षेत्र में ही कार्य करना होगा।
- (ii) पैकिंग सामग्री और ईंधन हेतु नीति सहित मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड नामक पुस्तक में दी गई सामान्य टिप्पणी इस स्कीम पर भी लागू होगी जहां तक कि वे इस स्कीम के असंगत न हों।
- (iii) आवेदक को 8 अंकीय आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण सिंहत विशिष्ट विवरण सिंहत निविष्टियों हेतु आवेदन करना होगा। जहां भी निर्यात उत्पाद और/अथवा निविष्टियों का विवरण ब्रांड नाम में दिया गया हो, तो सही रासायनिक/तकनीकी नाम का भी उल्लेख आवेदन में करना होगा।
- (iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी यथा आवेदित अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है जो विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा। यथा आवेदित निविष्ट उत्पाद मानदंड और आवेदक द्वारा दावा की गई क्षति को अंतिम माना जाएगा। मानदंड समिति द्वारा इसका अनुसमर्थन अपेक्षित नहीं है।

1743 GI/2018 (1)

- (v) आवेदक अथवा उसके सहायक विनिर्माता/सह—लाइसेंसधारी को प्रत्येक प्राधिकार पत्र के निमित्त शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेश में प्राप्त निविष्टियों की खपत और उपयोग का समुचित लेखा—जोखा रखना होगा, जैसा कि परिशिष्ट 4—ज में निर्धारित किया गया है। ईओडीसी हेतु आवेदन परिशिष्ट 4ज के साथ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट—4ज के ब्यौरे को प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के साथ तुलना करेगा। ऐसे रिकॉर्डों को प्राधिकार पत्र धारक/विनिर्माता द्वारा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.51 में यथा विनिर्दिष्ट अविध के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- (vi) इस स्कीम के अंतर्गत निर्यात मद के उत्पादन और खपत संबंधी रिकार्ड का डीजीएफटी अथवा किसी प्राधिकृत / नामित अभिकरण (अभिकरणों) अथवा समय—समय पर नामित अधिकारियों के दल द्वारा लेखा—परीक्षण किया जाएगा। ऐसा लेखा परीक्षण जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली (आरबीएमएस) पर आधारित प्राधिकार—पत्र को जारी करने की तिथि से तीन वर्षों की अविध के अंदर संचालित किया जा सकता है। निर्यातकों को लेखा पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करना तथा लेखा परीक्षण के समय पर पूरा किए जाने के लिए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करना अपेक्षित है। डीजीएफटी समय—समय पर प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से लेखा परीक्षा के दलों का गठन करेगा तथा लेखा परीक्षा के तरीके को विनिर्दिष्ट करेगा।
- (vii) आवेदक द्वारा लेखा परीक्षण दल को निर्धारित दस्तावेजों / सूचना और इसके तहत बनाए गए नियमों और आदेश उपलब्ध न कराने पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसके तहत बनाए गए नियमों और आदेश के प्रावधानों के तहत वह दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यि वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात / प्राप्ति अधिक मात्रा में अथवा पूर्णतः प्रयुक्त नहीं पाई जाती है तो आवेदक को स्वतः सीमा शुल्क प्राधिकारी को लागू ब्याज सिहत शुल्क का तत्काल भुगतान करना होगा। तथापि यिद लेखा परीक्षण दल को यह पता लगता है कि शुल्क मुक्त वस्तुओं का आयात अधिक मात्रा में किया गया है तथा वास्तविक उत्पादों में वह पूर्णतः प्रयुक्त नहीं हुआ है तथा स्वतः शुल्क और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है तो आवेदक को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम / सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त यथा संशोधित विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली 1993 के नियम—7 के तहत अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में डाल दिया जाएगा। विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 11(2) के प्रावधानों के तहत सनदी इंजीनियर भी उकसाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई हेतू उत्तरदायी होगा।
- (viii) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के सभी प्रावधान भी इस स्कीम पर लागू होंगे जहां तक कि वे इस स्कीम के विशिष्ट प्रावधानों के असंगत न हों।
- 3. संशोधित परिशिष्ट-4ट को इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।

# इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में एक नया पैरा 4.07क को जोड़ा जाता है। आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## परिशिष्ट 4ट

# प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 क/स्व अनुसमर्थन स्कीम के तहत सिऑन/तदर्थ मानदंड के निर्धारण के लिए सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र का प्रपत्र

# (सनदी इंजीनियर के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत करना होगा)

- 1. मैं एक सनदी इंजीनियर हूँ और मेरी पंजीकरण संख्या ....... दिनांक ....... (प्रतिलिपि संलग्न) है। मेरी क्षेत्र संबंधी योग्यता ............... (उदाहरणार्थ रसायन, यांत्रिक, विदयुतीय, वस्त्र आदि) है।
- 3. मैं, एतदद्वारा निर्यात उत्पाद और उनकी निविष्टियों की आवश्यकता को निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ:--
  - (क) प्राधिकार-पत्र के तहत निर्यात / आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद (उत्पादों) का विवरण:-

क्रम सं०	उत्पाद विवरण	तकनीकी	आईटीसी	मात्रा
		विशिष्टताएं / गुणवत्ता / विनिर्देशन	(एचएस) कोड	(माप की इकाई के साथ)

(ख) निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों का विवरण:-

क्रम सं०	निविष्टि विवरण	तकनीकी विशिष्टताएं / गुणवत्ता / विनिर्देशन	आईटीसी (एचएस) कोड	मात्रा (माप की इकाई के साथ)

4. यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी समय उपरोक्त प्रमाणित <u>विवरणों / तथ्यों</u> में से कुछ भी गलत पाया जाता है तो मुझे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (यथा संशोधित), उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों और यथा लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई भुगतनी पड़ सकती है।

सनदी इंजीनियर का हस्ताक्षर और मृहर

स्थान

तारीखः

पंजीकरण संख्या कार्यालय का पता कार्यालय का टेलिफोन नं० आवासीय पता

संस्थान जिसके साथ पंजीकृत है का नाम और पता

## आवेदक द्वारा घोषणा / वचनबद्धता

- 1. परिशिष्ट 4ड. में दिए गए ब्यौरे और आंकड़े तथा सनदी इंजीनियर प्रमाणपत्र मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया हैं और यदि कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होती है तो विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम मुझे / हमें भुगतने पड़ेंगे।
- 2. हम समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के प्रावधानों का पालन करेंगे।
- 3. मैं एफटीपी के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूं।

स्थान आवेदक का हस्ताक्षर

तारीखः नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

टेलीफोन

आवासीय पता

ई-मेल पता

परिशिष्ट ४ट के लिए नोटः

- 1. तकनीकी ब्यौरे सहित संपूर्ण परिशिष्ट ४ड. प्रस्तुत किए जाऐंगे।
- 2. जब तक और अन्यथा प्रावधान नहीं हो, अग्रिम प्राधिकार के प्रयोजन से इंगित विलायक की आवश्यकता के अधिकतम केवल 25% विलायक की अनुमित दी जाएगी। तथापि, उन मामलों में जहां रिकवरी संभव नहीं है और विलायक जहरीला हो जाता है, विलायक की पूरी मात्रा की अनुमित दी जाएगी। सनदी इंजीनियर उपर्युक्त तालिका 3(ख) में किए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित विलायक के ब्यौरे के लिए उसे तदनुसार सत्यापित और प्रमाणित करेगा।
- जब कभी उपोत्पाद और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान सृजित रिकवर योग्य अपशिष्ट का मूल्य सीआईएफ मूल्य से 5% अधिक हो तो मुख्य निविष्टि की तद्नुरुपी मात्रा को हकदारी से उस सीमा तक कम किया जाएगा कि वर्जित

- मात्रा का मूल्य उपोत्पाद और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान सृजित प्राप्य अपशिष्ट के मूल्य के समान हो। सनदी इंजीनियर उपर्युक्त तालिक 3 (ख) में इस तदनुसार सत्यापित और प्रमाणित करेगा।
- मर्चेन्ट निर्यातक द्वारा आवेदन के मामले में, प्रमाणपत्र के पैरा 3 में दिए गए ब्यौरे सहायक विनिर्माता के होंगे जिसका नाम अग्रिम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित किया जाना है।

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

#### (DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### **PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 22nd March, 2018

No. 68/2015-2020

## Subject: Amendments in Handbook of Procedures 2015-20- reg.

- **F. No. 01/94/180/356/AM17/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment in Hand Book of Procedures 2015-20:
- 2. Below the existing para 4.07 HBP 2015-20, a new para 4.07A is added as follows:-

### Para 4.07A Self -Ratification Scheme

- (i) Policy related to Self ratification Scheme is provided at Para 4.07A of ForeignTrade Policy (2015-20). Applications shall be filed online along with completedetails as per Appendix-4E along with a certificate from Chartered Engineer inAppendix-4K. For issuance of such a certificate, the Chartered Engineer shallact only in the domain of his/her competence.
- (ii) General Notes given in the book titled Standard Input Output Norms including policy for packing material and fuel shall also be applicable to this scheme in sofar as they are not inconsistent with this scheme.
- (iii)The applicant shall apply for inputs with specific descriptions along with 8digit ITC (HS) Classification. Where ever the export product and/or inputs aregiven in brand names, the correct chemical /technical name shall also be given in the application.
- (iv) RA may issue Advance authorisation as applied for subject to the conditionsspecified in FTP and Handbook of Procedures (2015-20). Input Output Normsas applied and wastage claimed by the applicant shall be treated as final.Ratification of the same by NC is not required.
- (v) Applicant or his supporting manufacturer/co-licensee shall maintain a properaccount of consumption and utilization of duty free imported / domesticallyprocured inputs against each authorisation, as prescribed in Appendix-4H.Application for EODC shall be submitted in prescribed format along withAppendix-4H to the Regional Authority concerned. Regional Authority shallcompare the details of Appendix-4H, with that of the inputs allowed in theAuthorisation. Such records shall be preserved by the authorisationholder/manufacturer for a period as specified in Para 4.51 of HBP.
- (vi) Production and consumption records of the export item under this schemeshall be audited by DGFT or any Authorised/nominated agency(ies) or team of officers as may be nominated from time to time. Such audit may be conducted within three years from the date of issue of Authorisation based on Risk BasedManagement System (RBMS). Exporters shall be required to provide necessary facility to verify Books of Accounts or other documents and assistance as maybe required for timely completion of the audit. DGFT shall constitute the auditteams and specify the manner of audit from time to time through administrative orders.

- (vii) Non providing of prescribed documents/information to the Audit team by theapplicant shall make him liable for penal action under the provisions of FT(D&R)Act, 1992, as amended and Rules and order made there under. In case itemsimported/procured duty free are found to be in excess or not consumed fully, theapplicant shall suomoto pay immediately duty with applicable interest to theCustoms Authority. However, if Audit team found that duty free items wereimported in excess and not consumed fully in the resultant products and duty andinterest have not been paid suomoto, the applicant shall be placed underDenied Entity List (DEL) under Rule 7 of FT(Regulation) Rules, 1993, asamended, in addition to other penal action under FT(DR) Act/Customs Act. TheChartered Engineer shall also be liable for penal action for abetment under theprovisions of Section 11(2) of the FT(DR)Act.
- (viii) All the provisions of Advance Authorisation scheme shall also be applicable to this scheme in so far they are not inconsistent with the specific provisions of this scheme.
- 3. The amended Appendix 4K is annexed to this Public Notice.

<u>Effect of this Public Notice</u>: With this Public Notice, a new para 4.07A is added in Handbook of Procedures 2015-20

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

## **APPENDIX -4K**

# Format of Chartered Engineer Certificate for fixation of SION / Adhoc norms under para 4.07A of HBP/Self Ratification Scheme.

(To be furnished on the letterhead of the Chartered Engineer)

1. compet				_		_			dat textiles						My do	main
2.	I ha	ve ex	amined	the	details		-		of input							
			_,			_ (Na	me app	licant/m	anufactu	irer ai	nd ad	dress o	f facto	ory w	here g	goods
would	be m	anufac	ctured)	with	regard	to th	neir app	lication	for adv	vance	Autl	orisati	on. I	have	exam	nined
Append	lix-4E	along	with te	chnica	al detail	s thei	eof file	d by the	applicar	nt and	requ	iremen	ts of ra	aw ma	aterials	s etc.
		_						•	he quant		-					
	_				-	-			nnical no					-	-	-
-	-				_	_	-	-	port pro			-				
correct	in all	respec	ets and a	are act	ually re	quire	d for the	e execut	ion of th	ie exp	ort o	der for	which	h the	applica	ation
is made	e.	•			•	•										

- 3. I hereby certify the export product and the requirement of inputs thereof as follows:
  - (a) Details of product(s) to be exported / supplied under the Authorisation:

Sl. No.	Product Description	Technical Characteristics / Quality / Specification	ITC (HS) Code	Quantity (Along with the Unit of Measurement)

(b) Details of inputs required for manufacturing export product.

Sl. No	Input Description	Technical Characteristics / Quality / Specification of the Inputs	ITC (HS) Code	Quantity (Along with the Unit of Measurement)

4. At any point of time the statements / facts certified above by the undersigned if found to beincorrect, I will be liable for penal action under the provisions of Foreign Trade (Development &Regulation) Act, 1992 (as amended), Rules and Orders framed there under and the provisions of anyother Act, inforce.

Signature & Seal of Chartered Engineer

Place

Date

Registration Number Official Address Official Telephone Residential Address

Name & Address of the Institution with which registered

# **Declaration/undertaking by applicant**

- 1. The particulars and the data furnished in Appendix-4E and the Chartered Engineer Certificate are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- 2. We would abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, the Foreign trade Policy, the Handbook Procedure and the ITC(HS) Classification of Export & Import Items, as amended from time to time.
- 3. I am authorised to verify and sign this declaration as per paragraph 9.06 of the FTP.

Place: Signature of the Applicant

Date:

Name
Designation
Official Address
Telephone

Residential Address Email Address

### **Note for Appendix-4K:**

- 1. Complete Appendix-4E along with technical details shall be submitted.
- 2. Unless and otherwise provided for, solvent(s) shall be allowed maximum upto 25% of the requirement of solvents indicated in for the purpose of advance authorisation. However, in cases where recovery is not possible and the solvent gets poisoned, full quantity of solvent shall be allowed. Chartered Engineer shall verify and certify the same accordingly for the details of solvents required as in Table 3(b) above.
- 3. Wherever value of by-products and recoverable wastage generated during manufacturing process is more than 5% of CIF value, corresponding quantity of main input shall be reduced from the entitlement to the extent that value of disallowed quantity is equal to the value of by-products and recoverable wastage generated during manufacturing process. Chartered Engineer shall verify and certify the same accordingly in Table 3(b) above.
- 4. In case of application by merchant exporter, the details to be given at para 3 of Certificate shall be of supporting manufacturer whose name is to be endorsed in the advance authorisation.